न्यायालय : अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 375/2026

06.04.2026

आवेदक **नितीश कुमार** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **सफियासराय थाना काण्ड संख्या 82/2025** अन्तर्गत **धारा 109 (1)/3/5 भारतीय न्याय संहिता** तथा **धारा 27 शस्त्र अधिनियम** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुरंजन कुमार शर्मा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक अंकुश कुमार दिनांक 27.09.2025 को समय 11:00 बजे दिन में गंगा स्नान कर वापस आ रहा था, तो जैसे ही फरदा पेट्रोल पम्प के पास पहुँचा तो देखे की 1. गुलशन कुमार, 2. डोमी यादव, 3. होरील यादव, 4. सुमन कुमार, 5. मनोज यादव, 6. नितीश कुमार, 7. अदालत यादव सभी साकिन बॉक टोला, फरदा, थाना–सफियासराय, जिला मुंगेर एवं 05–06 अन्य अज्ञात गोली बारी कर रहा था जब इनलोगों की नजर हमपर पड़ी तो ये लोग जान मारने की नियत से हम पर गोली चलाया मैं भागने का प्रयास किया तभी डोमी यादव ने हमको जान मारने की नीयत से हमपर गोली चलाया जो मेरे बॉये पैर के घूटने के पास गोली लगा मैं गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मेरे परिवार वाले ईलाज हेतु सदर अस्पताल लाये। जहॉ मेरा ईलाज चल रहा है। घटना का कारण है कि जगदम्बापुर हमलोगों का करीब–07 बिघा जमीन है उसको लेकर करीब–05 वर्ष से विवाद चल रहा है। आज भी उसी विवाद को यह घटना किया गया है। यही मेरा बयान है जिसे मैं अपनी बड़ी मॉ सुलेखा देवी के समक्ष पढ़ व पढ़वा सुन व समझ लिया। सही लिखा पाकर मैं अपनी बड़ी मॉ सुलेखा देवी के समक्ष अपना हस्ताक्षर बना दिया।

06.04.26

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा कोई आपराधिक इतिहास नहीं किया गया है और आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा किसी भी प्रकार का नियमित जमानत आवेदन अथवा अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय एवं मान्नीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत वाद में प्राथमिकी के अनुसार सूचक अंकुश कुमार के ऊपर डोमी यादव द्वारा गोली मारकर घुटना घायल कर देने की बात कही गयी है और डोमी यादव सूचक के गोतियॉ है। प्रस्तुत प्राथमिकी जमीनी

विवाद के कारण दाखिल की गयी है। जबकि, आवेदक के पास कोई भूमि नहीं है और न ही उसने बंदूक एवं लाठी से सूचक पर कोई प्रहार किया है। आवेदक का घर बॉक टोला, फरदा में है और उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन की प्रार्थना करते हैं।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभियुक्त प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं और इसका घटना में शामिल में शामिल होने की बात कही गयी है, जिसका समर्थन गवाहों ने किया है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभयपक्षों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अनुसंधानक के द्वारा कुछ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र दाखिल किया गया है एवं संज्ञान भी उनके विरूद्ध लिया जा चुका है और अभियुक्त मनोज यादव तथा अदालत यादव का नियमित जमानत आवेदन पूर्व न्यायालय द्वारा बी0 ए0 संख्या 246/2026 तथा बी0 ए0 संख्या 679/2026 में दिया गया है। प्रस्तुत वाद में अभियुक्त पर बंदूक से फायरिंग करके सूचक को घायल करने का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। सूचक के जख्म प्रतिवेदन देखने से स्पष्ट है कि जख्म नाजुक अंगों में नही है, जिससे उसकी मृत्यु–कारित हो सके और मुख्य आरोप अभियुक्त डोमी यादव पर है तथा प्राथमिकी तथा गवाहों के बयान देखने से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आवेदक अभियुक्त का घटना में शामिल होने का क्या उद्देश्य था ? और न ही सूचक पर हमला करने का कोई स्पष्ट आरोप है।

06.04.26

ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों पर आवेदक अभियुक्त **नितीश कुमार** को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **एक जमानतदार आवेदक के घर का सदस्य एवं निकटवर्ती संबंधी होगा।**
2. **आवेदक अन्तर्गत धारा 482 (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करने तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करने एवं आरोप के गठन की सुनवाई पर सदेह उपस्थित रहेंगे**

3. **इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर